(c) whether Government are planning to form autonomous water boards to take care of all disputes among the states for sharing the water?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) The Memorandum of Understanding allocating the utilisable surface flows of Yamuna upto Okhla has been accepted by the states of Haryana, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh and the National Capital Territory of Delhi. But it has not been accepted by Rajasthan so far. Further discussions with Rajasthan are continuing.

(c) Under the River Boards Act 1956, Central Government on a request received form a State Government or otherwise, can establish a River Board for regulation or development of an inter state river or river vall y or any specified part thereof. The resolution of disputes amongst the states for sharing of water from an inter state river does not fall under the perview of such boards.

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन० पी०सी०सी०) को एक रूग्ण इकाई के रूप में घोषित किया जाना

@4638. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाभ अर्जित करने वाली कम्पनी राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन.पी.सी.सी.) अब एक रूग्ण इकाई बन चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके रूग्ण होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसे एक लाभ अर्जित करने वाला निगम बनाने की दिशा में सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 3799, 24 अगस्त, 1993 से स्थानांतरित ।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.के. थुंगन) : (क) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम, पूर्व नेशनल प्रोजेक्टस कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, अनुत्पादक यूनिट होने के कारण रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के तहत नहीं आता है । तथापि, उपर्युक्त अधिनियम में निर्धारित मानदंडों को लागू करने से इसे 31-3-91 से एक रूग्ण यूनिट के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

(ख) इस स्थिति के लिए उत्तरदायी मुख्य कारण ये हैं, ऊपरी खर्चों पर अनुपातिक रूप से अधिक व्यय, आर्डर बुक की निम्न स्थिति, ब्याज का भारी बोझ, कार्य जुटाने में विलम्ब तथा परियोजना प्राधिकारियों द्वारा बकाया धनराशि का निपटान न करना।

(ग) कम्पनी के पुनरूद्धार के लिए इस मंत्रालय ने एक व्यापक योजना बनाई है। कम्पनी ने इसके साथ-साथ विभिन्न उपाय अपनाये हैं, जैसे अपने ऊपरी खर्चों को कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम, इसकी जल्दी नकदी प्रवाह स्थिति को पूरा करने के लिए उन उपस्करों, जिनकी मरम्मत आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है तथा अविशेष भण्डार का निपटान, विभिन्न यूनिटों पर पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के विशेष प्रयास, क्षेत्र प्रभारियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रणाली ।

CWC's monitoring of potential flood situation

4639. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether there has been a functional failure on the part of Central Water Commission in properly monitoring the potential floods situation this year in the country;

(b) whether there is a problem of interpretation of data available and collected by the CWC in accurately predicting potential flood-prone areas;

(c) whether it is a fact that large sums of money have been invested in Central Water Commission to fulfill the function of precise prediction and cautioning of public on potential floods; and

(d) steps being taken to revamp the whole organisation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (d) No, Sir. Central Water Commission had been making timely forecasts and accurate flood warning to the public. The annual expenditure during VII Plan was about Rs. 10 crores only and this is not considered large for this purpose.

गुजरात में मध्यम तथा बड़ी सिंचाई परियोजनायें

4660. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में बहुत सी मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनायें विलंबकारी और अत्यधिक खर्चीली सिद्ध हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कार्यरत निर्माणाधीन मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गुजरात सरकार को दी जाने वाली प्रस्तावित विशेष सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या गुजरात सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है और इस संबंध में लिये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) नौ वृहद परियोजनाओं नामशः दमनगंगा, पानम, साबरमती, करजन, सूखी, सिपु, वतरक, सरदार सरोवर और जलखरी और पच्चीस मध्यम परियोजनाओं नामशः हिरन (एस)–II मुखबहादर मच्छन्दरी, कालूमार, मच्छानाला, वेर–II, देव केलिया, हरनाव-II सानी, आमीपुर, उमरिया, आजी–II, (गुणातीत सरोवर) और बारह विस्तार, नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं नामशः मच्छु–I (बांध को सुदृढ़ करना), मच्छु–II (पुलनिर्माण) खारेवट नहरों का आधुनिकीकरण, फतेहावादी नहरों का आधुनिकीकरण, दांतीवाड़ा आधुनिकीकरण, भादर, (एस) नहरों का आधुनिकीकरण, शतरूंजी (पी) नहरों का आधुनिकीकरण मच्छु–I नहरों का आधुनिकीकरण, लवणीयता अन्तः प्रवेश की रोकथाम (सौराष्ट्र समुद्र तट विकास) उकई-जलकर.पर आधुनिकीकरण, मिट्टी और कलिंदी को बहाल करने की योजनाओं को आठवीं योजना में लाया गया है। परियोजनाओं को पूरा करने में हुये विलंब और इसके फलस्वरूप लागत में वृद्धि होने के कारण ये हैं:–

अपर्याप्त निधियों का प्रावधान, डिजाइन और कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन, निर्माण के दौरान सामने आने वाली तकनीकी और ठेके से संबंधित समस्यायें, परियोजना तैयार करते समय किया गया अपर्याप्त सर्वेक्षण आदि। चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिये कोई विशेष केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती, लेकिन, योजना आयोग ने गुजरात को वृहद, मध्यम और विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजनाओं के वास्ते आठवीं योजना के लिये 3426 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया है। आठवीं योजना में समयबद्ध ढंग से चालू परियोजनाओं को पूरा करने पर बल दिया गया है।